न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 191/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 28.09.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/191

प्रकाश पिता सूरजमल जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी निलोद, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थी

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर प्रकरण संख्या 14/2022 निर्णय दिनांक 13.07.2022

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थी
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 07.06.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का, निलोद की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मौजा निलोद की आराजी नम्बर 1326 रकबा 0.93 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म सिवाय चक रास्ता भूमि पर अपीलार्थी का नाजायज कब्जा मानते हुए दिनांक 13.07.2022

को अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली, पेनल्टी लगान 1/- रूपये का 50 गुणा यानि 50/- रूपये शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, भूपालसागर से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील भूपालसागर के पटवार हल्का निलोद की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का मौजा निलोद की आराजी नम्बर 1326 रकबा 0.93 में से रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म सिवाय चक रास्ता भूमि पर अपीलार्थी का पोल लगा तारबंदी कर नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली, लगान 1/-रू. का 50 गुणा जुर्माना यानि 50/-रूपये शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात पर अपीलांट का नाजायज कब्जा नहीं होकर वैध कब्जा है व उक्त भूमि अपीलांट के खातेदारी की थी जो गलत रूप से बिलानाम दर्ज हो जाने से अपीलांट की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर के यहां इन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र पेश कर रखा है जो विचाराधीन है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र के विचाराधीन रहते अपीलांट को उक्त विवादित आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को वक्त बहस अनुपस्थित मानते हुए निर्णय व आदेश पारित किया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.07.2022 को हुई उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी विलम्ब हो विस्तारित करने हेतु दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 13.07.2022 निरस्त फरमावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 191/2022 (रा. अ.)
प्रकाश पिता सूरजमल जाट निवासी निलोद, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा पोल लगाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली, शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में ग्राम निलोद की प्रश्नगत आराजी पर उसका नाजायज कब्जा नहीं होकर उक्त आराजीयात उसके खातेदारी की होना बताते हुए वैध कब्जा होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलार्थी के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पर्चा मौका दिनांक 25.02.2022 एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.06.2022 अनुसार ग्राम निलोद की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 1326 रकबा 0.93 हैक्टेयर किस्म सिवायचक रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थी ने पोल लगा तारबंदी कर नाजायाज कब्जा कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि–सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

जहां तक अधिवक्ता अपीलार्थी का विवादित आराजीयात अपीलार्थी के खातेदारी की होकर गलत रूप से बिलानाम दर्ज हो जाने से इन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र न्यायालय सहायक कलक्टर, भूपालसागर के न्यायालय में विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली एवं शास्ति का आदेश पारित करने का कथन है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की धारा 91 के तहत लम्बित कार्यवाहियां एक तरह की संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceedings) है जिन्हें बिना किसी ठोस/पर्याप्त कारण के बहुत अधिक लम्बे समय तक लम्बित रखा जाना उचित नहीं है। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2022 में यह तथ्य भी अंकित किया है कि सक्षम न्यायालय से जो भी निर्णय पारित होगा, उसके अनुरूप पृथक् से नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का निलोद की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी का ग्राम निलोद की आराजी नम्बर 1326 रकबा 0.93 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म सिवायचक रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने तथा जुर्माना लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2022 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official